

13/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन अनुपस्थित हैं। वकील वादी को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु वकील वादी अनुपस्थित है। इमलिए वादी का याद 9 R3 जा-डी में खारिज किया जाना है। पत्रावली फंसल नुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारन अनुपस्थित हैं। वकील वादी को बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु वकील वादी अनुपस्थित है। इमलिए वादी का याद 9 R3 जा-डी में खारिज किया जाना है। पत्रावली फंसल नुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी  
माँभर लेक